

दवालयिपन कोड के महत्त्वपूर्ण प्रावधान

संदर्भ

पछिले हफ्ते, भारतीय रजिस्टर बैंक की आंतरिक सलाहकार समिति (IAC) ने 12 खातों की पहचान की थी, जिनके पास बैंकों की गैर-नष्पादति परसिंपत्तियों (NPA) का 25% हिस्सा है। कमेटी ने कहा है कि दवालयिपन संहिता (IBC) के तहत इस समस्या को तुरंत हल करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि मार्च तक बैंकिंग प्रणाली में कुल एन.पी.ए. 7.11 लाख करोड़ रुपए था।

दवालयिपन का मतलब क्या है?

- एक कंपनी तब दवालयिपन होती है, जब वह अपने लेनदारों (बैंक, आपूर्तिकर्ताओं आदि) का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। कुछ भारतीय कंपनियों के कर्ज चुकाने की अक्षमता के कारण बैंकिंग प्रणाली में गैर-नष्पादति परसिंपत्तियाँ बढ़ जाती हैं। इस प्रकार के ऋण के रूप में फंसे पैसे को मुक्त करने के लिये एक प्रणाली आवश्यक है। इसी दशा में आई.बी.सी. बनाया गया है।

गैर-नष्पादति परसिंपत्तियों की समस्या वाले क्षेत्र

- हालाँकि, जिन 12 खातों का उल्लेख किया गया है, उन्हें सरकारी तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है। आर.बी.आई. ने पहले संकेत दिये थे कि बजली, दूरसंचार, इस्पात, वस्त्र और वमिन्न जैसे क्षेत्रों में गैर-नष्पादति परसिंपत्तियाँ ज्यादा हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि अत्यधिक तनावग्रस्त खातों की संख्या लगभग 40-50 हो सकती है।

कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- बैंकों सहित कोई भी लेनदार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में एक याचिका दायर कर बकाएदारों के खिलाफ दवालयिपन की कार्यवाही शुरू कर सकता है।
- एक 'दवालयिपन पेशेवर' की नियुक्ति की जाती है, ताकि वह चूक करने वाली कंपनी को नियंत्रण में ले सके और प्रक्रिया में सहायता कर सके।
- एक 'लेनदार समिति' (Creditors Committee) का गठन किया जाता है, जो कि उधारदाताओं और किसी अन्य पार्टी के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। समिति एक 'संकल्प योजना' (जिसमें डफॉल्ट ऋण को बेचने या कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त करना शामिल हो सकता है) बनाती है, जिसमें 75% लेनदारों की मंजूरी आवश्यक है।
- दवालयिपन पेशेवर को 180 दिनों में डफॉल्ट समस्या का व्यावहारिक समाधान सुझाना होगा, लेकिन यह समय सीमा 90 दिनों तक के लिये और बढ़ायी जा सकती है।
- यदि कोई समाधान 270 दिनों के भीतर नहीं निकलता तो एक 'परसिमापक या ऋण शोधन करने वाले की नियुक्ति की जाएगी।
- कंपनी सामान्य बैठक में विशेष समाधान के लिये स्वैच्छिक परसिमापन का विकल्प भी चुन सकती है।
- अतः केवल समय ही बताएगा कि यह कानून कतिना प्रभावी होगा, क्योंकि आई.बी.सी. के तहत कार्यवाही प्रणाली देश में अपने नए एवं शुरुवाती चरण में है।